भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5570
दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए निधि

5570. **श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्ष 2016 से 2019 के दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना की लगभग 80 प्रतिशत धनराशि मीडिया अभियानों के लिए आवंटित की गई थी;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की तुलना में मीडिया अभियानों को प्राथमिकता देने के क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार ने पिछले दशक में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने में इसकी जमीनी प्रभावशीलता का आकलन किया है;
(घ) यदि हां, तो योजना द्वारा लक्षित क्षेत्रों में बाल लिंग अनुपात और लड़कियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में कितना सुधार देखा गया है; और
(ङ) बालिकाओं के व्यापक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियानों के साथ-साथ प्रत्यक्ष कार्रवाई और जमीनी स्तर पर हस्तक्षेप के माध्यम से संतुलन बिठाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) और (ख): "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" (बीबीबीपी) योजना दिनांक 22 जनवरी 2015 को घटते बाल लिंगानुपात (सीएसआर) और बालिकाओं एवं महिलाओं के सशक्तीकरण से संबंधित मुद्दों को समाधान करने के लिए शुरू की गई थी। यह योजना मुख्य रूप से सभी हितधारकों को सूचित, प्रभावित, प्रेरित, कार्यरत और सशक्त बनाकर बालिकाओं के प्रति

मानसिकता और व्यवहार में परिवर्तन लाने पर केंद्रित है। वर्ष 2016-19 के दौरान मीडिया एडवोकेसी सहित बीबीबीपी पर वर्षवार व्यय का विवरण नीचे दी गई तालिका में है:-

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	संशोधित अनुमान (आर.ई)(करोड़ में)	मीडिया एडवोकेसी सहित बहुक्षेत्रीय पहल के लिए जारी निधियां (करोड़ में)
1	2016-17	43	28.66
2	2017-18	200	169.1
3	2018-19	280	244.73

इन पहलों ने बीबीबीपी ब्रांड को सफलतापूर्वक स्थापित किया है, जिसका एक उत्कृष्ट रिकॉल महत्व है और यह सरकारी एजेंसियों, मीडिया, नागरिक समाज एवं व्यापक पैमाने पर जनता सहित विभिन्न हितधारकों को जुटाकर एक नीतिगत पहल से एक राष्ट्रीय आंदोलन में बदल गया है। इस आंदोलन का उद्देश्य न केवल जन्म के समय लिंग अनुपात और लिंग आधारित भेदभाव से संबंधित तत्काल चिंताओं दूर करना है, बल्कि बालिकाओं को महत्व देने एवं उनके अधिकारों तथा अवसरों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक सांस्कृतिक बदलाव को बढ़ावा देना भी है।

(ग) से (ड.): नीति आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजनाओं का मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट के आधार पर मंत्रालय ने मिशन शक्ति के अंतर्गत दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है जिसमें बहु-क्षेत्रीय पहलों के माध्यम से देश के सभी जिलों में योजना के कवरेज को बढ़ाना तथा बालिकाओं में खेलों को बढ़ावा देना, आत्मरक्षा शिविर, पीसी-पीएनडीटी अधिनियम के बारे में जागरूकता इत्यादि जैसे कार्यकलापों पर अधिक व्यय को प्रोत्साहित करना शामिल है। मंत्रालय ने एक प्रचालन नियमावली तैयार की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बालिकाओं के समग्र विकास और उनके परिवारों तथा समुदायों की वर्ष भर की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए माहवार विशिष्ट विषयों के साथ जिला स्तर पर सुझाए गए अभिसरण कार्यकलापों के लिए एक विषयगत कैलेंडर शामिल है।

जिला स्तर और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर आयोजित कार्यकलापों की तत्काल निगरानी के लिए बीबीबीपी डैशबोर्ड तैयार किया गया है। मंत्रालय नियमित सलाह जारी

करता है और समय-समय पर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना की समीक्षा करता है। जमीनी स्तर पर योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी नियमित रूप से क्षेत्र का दौरा भी करते हैं। कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड की बैठकों के दौरान राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार विस्तृत समीक्षा की जाती है। इसमें मंत्रालय राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा करता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) की स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) की नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) 2014-15 में 918 से बढ़कर 2023-24 में राष्ट्रीय स्तर पर 12 अंकों की शुद्ध वृद्धि के साथ 930 हो गया है।

इसके अलावा**,** माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) वर्ष 2014-15में 75.51प्रतिशत से बढ़कर वर्ष2023-24 में 78 प्रतिशत हो गया है।[यूडीआईएसई-डेटा**,** एमओई]

सरकार देश में बालिकाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इस उद्देश्य के लिए सरकार ने बालिकाओं के शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है।

देश के विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के जीवन को आसान बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.8 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है।

सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) एक छोटी बचत योजना है जिसे बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए तैयार किया गया है, जो उच्च ब्याज दर देती है। एक लड़की के नाम पर केवल एक सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि खाते (एसएसए) के तहत सक्रिय खातों की कुल संख्या और इन खातों में जमा कुल राशि (31.01.2025 तक) क्रमशः 4.16 करोड़ से अधिक और 2.70 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।

समग्र शिक्षा प्री-स्कूल से कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत योजना है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन का

समर्थन करती है। यह प्रारंभिक बाल्यवस्था की देखभाल और शिक्षा, मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता, समग्र तथा समावेशी पाठ्यक्रम, सीखने के परिणामों को बढ़ाने, सामाजिक एवं लैंगिक अंतर को पाटने के साथ सभी शिक्षा स्तरों पर समानता और समावेश सुनिश्चित करने पर जोर देती है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) योजना बारहवीं कक्षा तक बालिकाओं के लिए आवासीय स्कूली शिक्षा सुविधाएं प्रदान करके स्कूली शिक्षा में लिंग और सामाजिक श्रेणी के अंतर को पाटने का प्रयास करती है। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अल्पसंख्यक समुदायों और बीपीएल परिवारों की 10-18 वर्ष की आयु वर्ग की बालिकाओं को कवर किया जाता है।

किशोरियों के लिए योजना (एसएजी) को दिनांक 01.04.2022 से मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत लक्षित लाभार्थियों में आकांक्षी जिलों और सभी पूर्वोत्तर राज्यों की 14-18 वर्ष की आयु वर्ग की बालिकाएं हैं।

विज्ञान ज्योति कार्यक्रम लिंग संतुलन में सुधार के लिए बालिकाओं को एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित) क्षेत्रों में शिक्षा और करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह कक्षा IX से कक्षा XII तक मेधावी बालिकाओं को लक्षित करता है और इसमें छात्र-अभिभावक परामर्श, करियर परामर्श, अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता कक्षाएं, टिंकरिंग क्रियाकलाप, विशेष व्याख्यान, वैज्ञानिक संस्थानों, प्रयोगशालाओं, उद्योगों एवं विज्ञान शिविर और कार्यशालाओं में जाना शामिल है।

*****